यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, अल्मोड़ा, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, अल्मोड़ा,के माह 04/2015 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन, श्री रवि शंकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 16.02.2019 से 23.02.2019 तक श्री महेंद्र तिवारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इकाई की विगत लेखा परीक्षा श्री सतेन्द्र कुमार, लेखापरीक्षक, श्री राकेश रंजन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा सुश्री मानसी जैन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, द्वारा दिनांक 19.04.2015 से 30.04.2015 तक श्री हनुमान सिंह AO, के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी जिसमे 12/2013 से 03/2015 तक के लेखा अभिलेखो की लेखा परीक्षा की गयी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2015 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, अल्मोड़ा, का मुख्य कार्यकलाप विद्यालय विकास अनुदान गणवेश की धनराशि उपलब्ध कराना है। इकाई का भौगोलिक क्षेत्र समस्त अल्मोड़ा जनपद है।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	आवंटन		व्यय		बचत /अभ्यर्पण	
	स्थापना	गैर स्थापना	स्थापना	गैर स्थापना	स्थापना	गैर स्थापना
2015-16	115.42	115.42	3152.27	2979.28	00	172.99
2016-17	96.71	96.71	3475.48	3246.95	00	228.53
2017-18	115.42	115.42	5631.46	4617.78	00	1013.68
2018-19 (12/2018)	00					

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

(धनराशि रू. लाख)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्ति**	**विविध प्राप्तिया**	**कुल प्राप्तिया**	**व्यय**	**आधिक्य (+)**	**बचत(-)**
2015-16	SSA	1180.51	2051.37	35.81	3267.69	3094.70	00	172.99
2016-17	SSA	172.99	3386.03	13.17	3572.19	3343.66	00	228.53
2017-18	SSA	228.53	5313.83	204.52	5746.88	4733.20	00	1013.68

ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई की श्रेणी "बी" है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

1-सचिव, 2-राज्य परियोजना निदेशक, 3-अपर परियोजना निदेशक, 4-जिला परियोजना अधिकारी।

(v)लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, अल्मोड़ा की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है । यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, अल्मोड़ा, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2016 व 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित कर विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर:1- स्थायी परिसम्पत्ति पंजिका के अभाव में रू. 57.39 करोड़ की परिसंपतियो का सत्यापन न किया जाना।

सर्व शिक्षा अभियान परियोजना के दिशा निर्देशों के बिन्दु 62 के अनुसार जनपद स्तर पर स्थायी परिसंपतियो का एक रजिस्टर रखना होगा तथा वर्ष मे कम से कम एक बार उसके बस्तविक सत्यापन की वयवस्था करनी होगी।

इकाई के सर्व शिक्षा अभियान की वर्ष 2017-18 की बेलेंसशीट में पाया गया कि कार्यालय द्वारा रु. 57.39 करोड़ की धनराशि तुलन पत्र में दर्शायी गयी परन्तु इस धनराशि से संबंधित परिसम्पत्तियों के विवरण हेतु स्थायी परिसम्पत्तियों पंजिका का रख-रखाव नहीं किया गया था जिसके कारण लेखापरीक्षा में परिसम्पत्तियों की सत्यापन जांच नहीं किया जा सका। आगे यह भी पाया गया कि इन परिसंपत्तियों पर वर्ष के दौरान ह्रास भी नहीं दर्शाया गया था।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर मे बताया गया कि स्थायी परिसंपतियो का एक रजिस्टर बना लिया जायेगा। इस प्रकार इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आपत्ति कि पुष्टि करता है।

अतः स्थायी परिसम्पत्तियों पंजिका के अभाव में रु. 57.39 करोड़ की परिसम्पत्तियों का सत्यापन न किये जान का प्रकरण उच्चाधिकारियों संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(i) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
158/2013-14	-	1	1 एवं 2
09/2015-16	-	1,2,3,4	-

(ii) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, अल्मोड़ा, तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है, तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः
2. बन्द विद्यालयों के अवशेष के अभिलेख

3- सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा आहरण वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया |

क्रम स°	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री वी°एन° सिंह	आहरण वितरण अधिकारी	
2-	श्री राय साहब यादव	आहरण वितरण अधिकारी	06/2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकर (ले°प°) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, निकट IHM, कौलागढ़ रोड, देहरादून-248195 को प्रेषित करना सुनिशित करे |

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.